

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक : प. 6 ( ) चि/अप/2019/ 7781-838

दिनांक: -13/03/19

आदेश

कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के यौन शोषण के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निपटारे हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: प.6( )चि/अप/2014/12508-35 दिनांक: 08.07.2015 से श्रीमान् अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सिविल राईट्स, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक: प6 (39)पु.अ./म.अ./2010/1679-1750 दिनांक: 11.03.14 से प्राप्त निर्देशानुसार भारत सरकार द्वारा "महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) अधिनियम 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-14)" लागू किया जाकर उक्त अधिनियम के अध्याय 2 की धारा 4(1) के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीडन को रोकथाम हेतु एक "आन्तरिक परिवाद समिति" (Internal Complaint Committee) का गठन किया गया था।

अतः इस कार्यालय के उपरोक्त पूर्व आदेश क्रमांक: प.6( )चि/अप/2014/12508-35 दिनांक: 08.07.15 के अतिक्रमण में जिला स्तर पर पुनः एक "आन्तरिक परिवाद समिति" (Internal Complaint Committee) का निम्नानुसार गठन किया जाकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) चित्तौड़गढ़ को उक्त "आन्तरिक परिवाद समिति" (Internal Complaint Committee) का नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

- |  |                 |   |            |
|--|-----------------|---|------------|
| 1- सुश्री जया वर्मा, उ.नि., पुलिस अधीक्षक कार्यालय, चित्तौड़गढ़          | पीठासीन अधिकारी | - | 9785745822 |
| 2- श्री भैरु लाल, उ.नि. रीडर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, चित्तौड़गढ़        | सदस्य           | - | 9928731889 |
| 3- सीमा राणावत, वरिष्ठ लिपिक, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, चित्तौड़गढ़        | सदस्य           | - | 9461025879 |
| 4- श्रीमती भारती गहलोत (गैर सरकारी संगठन)                                | सदस्य           | - | 9057504872 |
| 5- श्रीमती धन्नु, महिला कानि. 405, महिला थाना, चित्तौड़गढ़               | सदस्य           | - | 7737960479 |
| 6- श्रीमती निर्मला कंवर महिला कानि. 1360, रिजर्व पुलिस लाईन, चित्तौड़गढ़ | सदस्य           | - | 8209176899 |
| 7- श्रीमती माया महिला कानि.956, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, चित्तौड़गढ़      | सदस्य           | - | 9461636240 |

यह समिति कार्यस्थल पर महिलाओं से संबंधित प्राप्त शिकायतों को पंजीबद्ध कर उनके निस्तारण हेतु उपरोक्त अधिनियम के अनुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करेगी।

(अनिल कयाल)  
पुलिस अधीक्षक,  
जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित हैं:-

- 01- श्रीमान् अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सिविल राईट्स, राजस्थान जयपुर।
- 02- श्रीमान् महानिरीक्षक पुलिस, उदयपुर रेंज, उदयपुर।
- 03- पुलिस अधीक्षक, (म.अ.)सीआईडी (सीबी)राजस्थान जयपुर।
- 04- पुलिस अधीक्षक, सिविल राईट्स, राजस्थान जयपुर।
- 05- निदेशक, निदेशालय महिला अधिकारिता, महिला संरक्षण प्रकोष्ठ, जयपुर।
- 06- कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़।
- 07- सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, चित्तौड़गढ़।

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

- 01- श्री विपिन शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, (मुख्यालय) चित्तौड़गढ़।
- 02- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, (मुख्यालय) चित्तौड़गढ़/रावतभाटा।
- 03- समस्त वृत्ताधिकारीगण, जिला चित्तौड़गढ़।
- 04- पुलिस उप अधीक्षक, एससी/एसटी सैल, चित्तौड़गढ़।
- 05- संचित निरीक्षक, पुलिस लाईन चित्तौड़गढ़।
- 06- समस्त थानाधिकारीगण, जिला चित्तौड़गढ़।
- 07- अपराध सहायक, कार्यालय हाजा।
- 08- समस्त शाखा प्रभारी, कार्यालय हाजा।
- 09- प्रभारी, पुलिस नियंत्रण कक्ष, चित्तौड़गढ़।
- 10- प्रभारी, यातायात शाखा, चित्तौड़गढ़।
- 11- सुश्री जया वर्मा, उ.नि., पुलिस अधीक्षक कार्यालय, चित्तौड़गढ़।
- 12- श्री भैरु लाल, उ.नि. रीडर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, चित्तौड़गढ़।
- 13- सीमा राणावत, वरिष्ठ लिपिक, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, चित्तौड़गढ़।
- 14- श्रीमती भारती गहलोत, महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र, चित्तौड़गढ़।
- 15- श्रीमती धन्नु, महिला कानि. 405, महिला थाना, चित्तौड़गढ़।
- 16- श्रीमती निर्मला कंवर महिला कानि. 1360, रिजर्व पुलिस लाईन, चित्तौड़गढ़।
- 17- श्रीमती माया महिला कानि.956, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, चित्तौड़गढ़।

पुलिस अधीक्षक,  
जिला चित्तौड़गढ़

दीपक भार्गव

भा.पु.से.

पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़  
राजस्थान-312001

दुरभाष : 01472-240006(का.)

01472-240003(नि.)

फैक्स : 01472-240885(का.)

मो.न. : 87645-09201



DEEPAK BHARGAV

I.P.S.

Supdt. of Police, Chittorgarh

Rajasthan-312001

Email : sp-chi-rj@nic.in

D.No. 1612

Date 6-8-2020

आप द्वारा आपसी मनमुटाव को लेकर महिला थाने पहुंचे दंपतियों की काउंसलिंग की व दोनों को रिश्तों की अहमियत बताई, जिससे बिखरने के कगार पर पहुंचे परिवारों में दोबारा खुशियां लौट आई। इसमें आप एवं आपके अधीनस्थ पुलिस कर्मियों का विशेष योगदान रहा, जो सराहनीय है। ये आपकी सतर्कता, कर्तव्यनिष्ठा एवं कठिन परिश्रम का परिचायक है।

मैं आपके द्वारा की गई कार्यवाही की भूरी-भूरी प्रशंसा करता हूँ और भविष्य में भी आपसे इसी तरह उत्कृष्ट कार्य करने की कामना करता हूँ। आपको और आपके सहयोगी पुलिस कर्मियों को मेरी ओर से शुभकामनाएँ।

शुभेच्छु,

(दीपक भार्गव)

श्रीमति भारती गहलोत

प्रभारी, महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र

महिला थाना चित्तौड़गढ़।

**दीपक भार्गव**

**भा.पु.से.**


पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़  
राजस्थान-312001

दुरभाष : 01472-240006(का.)

01472-240003(नि.)

फैक्स : 01472-240885(का.)

मो.न. : 87645-09201



**DEEPAK BHARGAV**

**I.P.S.**

Supdt. of Police, Chittorgarh

Rajasthan-312001

Email : sp-chi-rj@nic.in

D.No.- 170

Date- 28.01.2021

आप द्वारा पति-पत्नी के बीच झगड़े के तीन मामलों में सुलह करवाते हुए राजीनामा करवाया तथा आपसी रजामंदी से घर भेजा। इसमें आप एवं आपके अधीनस्थ कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा, जो सराहनीय है। ये आपकी सतर्कता, कर्तव्यनिष्ठा एवं कठिन परिश्रम का परिचायक है।

मैं आपके द्वारा की गई कार्यवाही की भूरी-भूरी प्रशंसा करता हूँ और भविष्य में भी आपसे इसी तरह उत्कृष्ट कार्य करने की कामना करता हूँ। आपको और आपके सहयोगी पुलिस कर्मियों को मेरी ओर से शुभकामनाएँ।

शुभेच्छु,

(दीपक भार्गव)

भारती गहलोत

महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र

महिला थाना, जिला चित्तौड़गढ़।



कार्यालय :- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चित्तौड़गढ़ (राज.)

अनुभव प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती भारती गहलोत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चित्तौड़गढ़ में दिनांक 10.06.2015 से पैरालीगल वॉलेन्टीयर के रूप में अस्थाई रूप से कार्यरत हैं तथा जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, चित्तौड़गढ़ स्थित विधिक सहायता क्लिनिक पर नियमित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जारी एक्शन प्लान के अनुसार निदेशित विधिक साक्षरता शिविर/विजिट में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं।

यह प्रमाण-पत्र आज दिनांक 18.11.2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

*द्वारा*  
18.11.16

अध्यक्ष

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक :- 18 NOV 2016



**RAJASTHAN STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY**

*Awards this  
Certificate of Commendation  
To the District Best Para Legal Volunteer*

*Shri **MS. BHARTI GEHLOT**, District Legal Services Authority, **CHITTORGARH**  
in recognition of the utmost commitment and the excellent work done in  
Legal Services for the year 2017.*

*Date: 13<sup>th</sup> January, 2018  
Place: Jaipur*

  
*(S.K. Jain)  
Member Secretary  
Rajasthan State Legal Services Authority  
Jaipur*



**SANKALP SANSTHA**  
**संकल्प संस्था**

WE TRY TO REACH THE DEPRIVED

Center for Village Development  
Regd. Under Raj. Societies Act. 1958

Office Add - Near Govt. School, Railway Station, KAPASAN  
Dist.-Chittorgarh(Rajastahan) INDIA-312202

Dep. No. 21

Date: 10/2/2023

### अनुभव प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति भारती गहलोत पत्नि प्रवीण गहलोत निवासी 19/20 विजय कॉलोनी, रेलवे स्टेशन, चित्तौड़गढ़ द्वारा संकल्प संस्था द्वारा संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र जो कि महिला थाना चित्तौड़गढ़ मे स्थित है, पर दिनांक 01.06.2017 से 31.12.2021 तक कांसलर पद पर कार्य किया इनका कार्य सराहनीय एवं सन्तोषप्रद रहा। संस्था इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ।

उक्त अनुभव प्रमाणपत्र संस्था द्वारा जारी किया जाता है।

दिनांक:- 10/2/2023

सचिव

Secretary

SANKALP SANSTHA  
Kapasana, Dist. Chittorgarh



UGC & ICSSR Sponsored

## NATIONAL SEMINAR

on

“Human Rights of Tribes in India : Present Position and Prospects”

“भारत में जनजातियों के मानवाधिकार : दशा एवं दिशा”

(1-2 February, 2015)

Organized by

Faculty of Law, Jai Narain Vyas University, Jodhpur (Rajasthan)



Indian Council of  
Social Science Research

### CERTIFICATE

This is to certified that Prof./Dr./Mr./Ms. Bharti Gehlot

Designation Student Institute R.N.T. Law College, Chittorgarh has participated/

Presented a paper on women and human Rights of Tribal Society

in the national seminar on “Human Rights of Tribes in India : Present Position and Prospects”

Organized by Faculty of Law, Jai Narain Vyas University, Jodhpur (Rajasthan).



(V.K. Meena)  
Organizing Secretary



(Dr. S.P. Meena)  
Director